

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/

दिनांक :

आदेश

श्रीमती निर्मला देवी (RJSK199933014449), महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 926 दिनांक 30.04.2018 की पालना में दिनांक 01.05.2018 से 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्रीमती निर्मला देवी को आज कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/441

दिनांक : 08-05-2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख हैं कि निदेशालय के समसंख्यक आदेश 1345 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा श्रीमती निर्मला देवी, म.स्वा.कार्यकर्ता का पदस्थापन 'आदेशों की प्रतीक्षा' से उपकेन्द्र, फूलावास, अलवर में किये जाने पर इनके द्वारा छः माह पश्चात कार्यग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कार्मिका को पुनः निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया गया है। अतः कार्मिका के उक्त स्वैच्छिक अनुपस्थिति प्रकरण में प्राथमिक जांच करते हुये दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. श्रीमती निर्मला देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पालनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर